उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

संख्या-94/2022/1194/52-1-2022-1653996

लखनऊ: दिनांक 09 दिसम्बर, 2022

शुद्धि-पत्र

कृपया जनपद इटावा के नगर पालिका परिषद में राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण की समर्पित प्रथम किश्त के केन्द्रांश की धनराशि की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-92/2022/1186/52-1-2022-08(पी.एम.जे.वी.के.)/19 दिनांक 08.12.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश संख्या-92/2022/1186/52-1-2022-08(पी.एम.जे.वी.के.)/19 दिनांक 08.12.2022 की पंक्ति संख्या-07 में त्रुटिवश **"चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखाशीर्षक-4235-02-800-0109 में प्राविधानित बजट रू0 5400.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने"** अंकित हो गया है।

3- उक्त शासनादेश संख्या-92/2022/1186/52-1-2022-08 (पी.एम.जे. वी.के.)/ 19 दिनांक 08.12.2022 की पंक्ति संख्या-07 में अंकित **"चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखाशीर्षक-4235-02-800-0109 में प्राविधानित बजट रू0 5400.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने"** के स्थान पर **"एस0एन0ए0 में जमा धनराशि से आहरित कर व्यय किये जाने का उल्लेख समझा/पढ़ा जाये।"**

4- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष निर्देश/शर्ते यथावत रहेंगी।

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-1194(1)/बावन-1-2022-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया जनपद-इटावा के नगर पालिका परिषद इटावा में राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण का मानकानुसार उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर से भी कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्यों के लिए किसी दूसरी मद से धनराशि का आहरण न किया गया हो।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 रोजगार भवन, गुरू गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक/निदेशक, **उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0)** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत राजकीय इण्टर कालेज का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

8- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **इटावा** को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति को वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

11- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

12- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in